भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.793
07 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पीएम-स्वनिधि योजना

793. श्री पी.सी. मोहन:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्ष-वार कितने पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और उन्होंने 50,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है और उन्होंने उनका लाभ उठाया है;

(ख) बैंकों को चुकाए गए ऐसे ऋणों की संख्या कितनी है और ऐसे कितने ऋणों का संवितरण लंबित है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कौन-सी श्रेणियों के कितने बैंक ऋण प्रदान कर रहे हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी पात्र विक्रेता इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने में सक्षम हों?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) 29.11.2023 तक, प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत 56.23 लाख स्ट्रीट वेंडरों के लिए 78.59 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 73.97 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। योजना के तहत स्वीकृत और संवितरित ऋणों का राज्य और वर्ष वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा चुकाए गए ऋणों की संख्या और वितरण हेतु लंबित ऋणों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक -II में दिया गया है।

(ग) पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाले बैंकों की संख्या और उनकी श्रेणी का ब्यौरा अनुलग्नक -III में दिया गया है।

(घ) योजना के तहत राज्य/यूएलबी का उत्तरदायित्व पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान करना और नए आवेदन को एकत्रित करना है। हालाँकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए, मंत्रालय समय - समय पर पहल शुरू कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदेशों/ऋण देने वाले संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, रेडियो जिंगल, टेलीविजन और समाचार पत्र विज्ञापनों के प्रसारण जैसे जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वेंडर तक योजना के लाभों को पहुँचाने के लिए स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी प्रदान की गई है।

दिनांक 07 दिसंबर, 2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 793 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं संवितरित ऋणों की संख्या का राज्य एवं वर्ष वार विवरण

(29.11.2023 तक)

क्र.स.	राज्य	वर्ष 1 (2020-21)					
		पहला ऋण		दूसरा ऋण		तीसरा ऋण	
		स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	395	387	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	1,17,843	1,12,746	-	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	1,839	1,588	-	-	-	-
4	असम	15,816	14,157	-	-	-	-
5	बिहार	33,890	28,861	-	-	-	-
6	चंडीगढ़	2,148	2,051	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	41,020	40,296	-	-	-	-
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	1,121	1,029	-	-	-	-
9	दिल्ली	33,069	31,169	-	-	-	-
10	गोवा	1,028	1,017	-	-	-	-
11	गुजरात	1,06,706	1,02,350	-	-	-	-
12	हरियाणा	17,807	16,943	-	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश	2,812	2,767	-	-	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	11,895	11,515	-	-	-	-
15	झारखंड	22,549	22,031	-	-	-	-
16	कर्नाटक	1,14,444	1,07,976	-	-	-	-
17	केरल	8,139	8,051	-	-	-	-
18	लद्दाख	249	247	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	3,24,146	3,13,904	-	-	-	-
20	महाराष्ट्र	1,69,512	1,49,129	-	-	-	-
21	मणिपुर	6,773	6,094	-	-	-	-
22	मेघालय	266	253	-	-	-	-
23	मिजोरम	446	442	-	-	-	-
24	नागालैंड	1,214	1,202	-	-	-	-
25	ओडिशा	29,261	27,489	-	-	-	-
26	पुदुचेरी	1,201	1,130	-	-	-	-
27	पंजाब	29,473	26,663	-	-	-	-
28	राजस्थान	55,767	50,330	-	-	-	-
29	सिक्किम	-	-	-	-	-	-
30	तमिलनाडु	1,10,372	87,712	-	-	-	-
31	तेलंगाना	3,30,564	3,10,490	-	-	-	-
32	त्रिपुरा	2,622	2,600	-	-	-	-
33	उत्तर प्रदेश	5,94,254	5,63,923	-	-	-	-
34	उत्तराखंड	9,258	9,111	-	-	-	-
35	पश्चिम बंगाल	5,218	2,379	-	-	-	-
कुल		22,03,117	20,58,032	-	-	-	-

क्र.स	राज्य	वर्ष 2 (2021-22)					
		पहला ऋण		दूसरा ऋण		तीसरा ऋण	
		स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	85	90	57	56	-	-
2	आंध्र प्रदेश	70,151	70,505	16,604	11,013	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	679	897	210	207	-	-
4	असम	43,515	40,520	2,116	2,021	-	-
5	बिहार	22,429	18,598	960	830	-	-
6	चंडीगढ़	1,387	1,406	197	185	-	-
7	छत्तीसगढ़	7,488	6,357	2,969	2,853	-	-
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	147	213	17	15	-	-
9	दिल्ली	10,779	10,506	646	558	-	-
10	गोवा	252	217	177	174	-	-
11	गुजरात	1,00,522	94,784	17,539	16,690	-	-
12	हरियाणा	11,952	9,395	2,293	2,182	-	-
13	हिमाचल प्रदेश	584	591	658	649	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	2,554	2,700	1,370	1,313	-	-
15	झारखंड	8,326	6,813	1,665	1,561	-	-
16	कर्नाटक	40,444	33,496	13,010	11,715	-	-
17	केरल	1,351	1,365	2,039	1,999	-	-
18	लद्दाख	13	14	65	59	-	-
19	मध्य प्रदेश	1,61,119	1,56,373	44,931	42,957	-	-
20	महाराष्ट्र	35,793	48,063	13,220	12,410	-	-
21	मणिपुर	1,762	2,393	116	105	-	-
22	मेघालय	365	354	29	29	-	-
23	मिजोरम	36	38	96	96	-	-
24	नागालैंड	297	299	168	168	-	-
25	ओडिशा	11,205	7,265	1,747	1,578	-	-
26	पुदुचेरी	53	116	117	110	-	-
27	पंजाब	11,490	12,582	680	598	-	-
28	राजस्थान	14,199	16,674	281	275	-	-
29	सिक्किम	1	1	-	-	-	-
30	तमिलनाडु	72,182	74,747	3,135	2,977	-	-
31	तेलंगाना	18,159	34,153	58,339	53,213	-	-
32	त्रिपुरा	880	528	243	205	-	-
33	उत्तर प्रदेश	1,99,221	2,22,205	16,198	14,073	-	-
34	उत्तराखंड	1,470	1,385	549	517	-	-
35	पश्चिम बंगाल	9,566	11,168	16	13	-	-
	कुल	8,60,456	8,86,811	2,02,457	1,83,404	-	-

क्र.स	राज्य	वर्ष 3 (2022-23)					
		पहला ऋण		दूसरा ऋण		तीसरा ऋण	
		स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10	9	215	157	22	11
2	आंध्र प्रदेश	14,202	11,080	45,301	31,116	1,729	1,079
3	अरुणाचल प्रदेश	1,125	740	970	699	127	95
4	असम	12,623	10,552	12,775	9,343	596	473
5	बिहार	3,739	3,124	12,177	5,571	212	105
6	चंडीगढ़	492	507	1,368	1,231	57	49
7	छत्तीसगढ	4,680	3,511	8,728	6,333	606	496
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	92	76	635	196	3	3
9	दिल्ली	25,490	16,781	15,210	8,675	219	133
10	गोवा	94	51	413	310	54	53
11	गुजरात	47,847	43,355	61,749	45,918	5,376	4,095
12	हरियाणा	5,322	4,736	7,760	6,015	638	495
13	हिमाचल प्रदेश	494	445	1,242	1,067	363	319
14	जम्मू और कश्मीर	950	823	4,038	3,355	366	317
15	झारखंड	3,952	2,310	7,216	4,028	334	184
16	कर्नाटक	31,549	23,102	50,754	33,747	4,267	3,087
17	केरल	1,913	1,649	3,045	2,391	738	590
18	लद्दाख	66	46	125	124	31	25
19	मध्य प्रदेश	66,687	59,539	1,27,884	95,308	9,791	7,971
20	महाराष्ट्र	2,42,835	1,44,250	70,963	41,216	3,029	2,157
21	मणिपुर	437	257	3,252	1,160	26	17
22	मेघालय	816	660	258	158	16	11
23	मिजोरम	43	36	41	27	16	15
24	नागालैंड	273	166	345	207	23	13
25	ओडिशा	3,327	1,730	14,831	6,585	436	271
26	पुदुचेरी	131	72	520	381	32	8
27	पंजाब	4,931	3,210	8,569	6,917	181	133
28	राजस्थान	5,812	1,784	28,631	6,250	80	41
29	सिक्किम	1	-	-	-	-	-
30	तमिलनाडु	16,050	17,705	55,713	35,944	928	626
31	तेलंगाना	10,294	7,354	1,05,406	70,229	5,693	3,479
32	त्रिपुरा	344	236	685	349	78	44
33	उत्तर प्रदेश	1,55,533	1,39,187	2,05,100	1,79,590	4,210	3,419
34	उत्तराखंड	2,734	2,505	4,386	3,897	244	205
35	पश्चिम बंगाल	3,830	1,021	2,987	857	1	-
कुल		6,68,718	5,02,609	8,63,292	6,09,351	40,522	30,019

क्र.स	राज्य	वर्ष 4 (2023-24) 29 नवम्बर 2023 तक					
		पहला ऋण		दूसरा ऋण		तीसरा ऋण	
		स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	58	45	59	91	25	31
2	आंध्र प्रदेश	1,06,095	1,08,550	27,287	44,625	10,476	10,683
3	अरुणाचल प्रदेश	890	1,033	635	780	304	331
4	असम	37,052	41,434	17,190	18,010	2,039	2,063
5	बिहार	47,140	43,059	10,540	14,178	1,489	1,399
6	चंडीगढ़	1,140	867	1,089	732	308	271
7	छत्तीसगढ	19,588	19,152	14,845	15,125	2,478	2,394
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	660	661	130	569	39	37
9	दिल्ली	1,00,226	85,666	10,274	12,388	1,791	1,646
10	गोवा	190	198	156	221	154	134
11	गुजरात	1,70,693	1,72,252	31,544	42,577	12,249	13,000
12	हरियाणा	1,00,481	74,570	7,450	7,799	2,164	2,105
13	हिमाचल प्रदेश	1,262	1,294	654	765	655	673
14	जम्मू और कश्मीर	904	927	1,682	1,657	1,233	1,064
15	झारखंड	46,782	40,899	5,088	6,659	1,325	1,260
16	कर्नाटक	1,43,968	1,48,646	31,833	44,866	11,413	12,015
17	केरल	60,679	55,253	1,846	2,083	1,345	1,371
18	लद्दाख	100	104	47	35	57	58
19	मध्य प्रदेश	2,17,114	1,99,640	93,868	1,04,586	31,484	30,743
20	महाराष्ट्र	2,91,051	3,25,553	31,165	48,576	10,565	10,659
21	मणिपुर	613	618	(79)	1,572	123	94
22	मेघालय	955	1,082	261	346	62	65
23	मिजोरम	1,007	951	103	108	71	61
24	नागालैंड	855	880	67	191	106	112
25	ओडिशा	13,740	17,477	7,925	15,003	2,487	2,521
26	पुदुचेरी	1,663	1,668	195	325	126	145
27	पंजाब	1,05,454	93,336	19,015	17,074	1,821	1,721
28	राजस्थान	60,894	59,504	5,188	24,715	549	528
29	सिक्किम	964	934	1	1	-	-
30	तमिलनाडु	1,76,934	1,75,738	43,544	55,698	10,260	9,932
31	तेलंगाना	46,556	47,756	40,066	71,940	32,512	33,641
32	त्रिपुरा	1,161	1,495	554	866	176	202
33	उत्तर प्रदेश	3,12,574	3,09,147	2,06,784	2,15,287	31,080	29,551
34	उत्तराखंड	9,241	8,842	2,462	2,690	1,021	959
35	पश्चिम बंगाल	1,51,887	1,37,929	5,110	6,027	121	112
कुल		22,30,571	21,77,160	6,18,578	7,78,165	1,72,108	1,71,581

डेटा स्रोत :- पीएम स्वनिधि पोर्टल

नोट: 20,000 रु. तक का दूसरा ऋण दिनांक 09.04.2021 को शुरू हुआ

नोट: 50,000 रु. तक का तीसरा ऋण दिनांक 01.06.2022 को शुरू हुआ।

दिनांक 07 दिसंबर, 2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 793 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा चुकाए गए ऋणों की संख्या और संवितरण के लिए लंबित ऋणों की संख्या का विवरण

(29.11.2023 तक)

ऋण की अवधि	चुकाए गए ऋणों की संख्या	संवितरण हेतु लंबित ऋणों की संख्या
प्रथम अवधि का ऋण	23,59,503	3,38,250
दूसरी अवधि का ऋण	2,82,262	1,13,407
तीसरी अवधि का ऋण	-	11,030
कुल	26,41,765	4,62,687

डेटा स्रोत :- पीएम स्वनिधि पोर्टल

दिनांक 07 दिसंबर, 2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 793 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाले बैंकों की संख्या और उनकी श्रेणी का विवरण

(29.11.2023 तक)

क्र.स.	बैंक श्रेणी	बैंकों की संख्या
1.	जिला सहकारी बैंक	106
2.	वित्तीय संस्थान	3
3.	विदेशी बैंक	2
4.	सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)	57
5.	एनबीएफसी/ फिंटेक	50
6.	निजी क्षेत्र के बैंक	25
7.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12
8.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45
9.	लघु वित्त बैंक (एसएफ बी)	11
10.	राज्य सहकारी बैंक	70
11।	शहरी सहकारी बैंक	65
	कुल योग	446

डेटा स्रोत :- पीएम स्वनिधि पोर्टल

*****